	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स ...	हुक्म की तामील में जारी हुए
28-6-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4-7-23 को पेश हो।	
4-7-23	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पड़त पड़ी हुई है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता बहाल कराया जावे। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीया के पास आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है तथा नजरी नक्शे के साथ प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित बताते हुए मौका रिपोर्ट पेश की है अतः तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

26-7-23

प्रार्थी के आवेदन की तथ्य से
निर्णय में सहवन से हुई त्रुटि की
दुरुस्ती कराने हेतु धारा 151, 152 CPC
पेश करने पर पत्रावली सीगे से
तलब की गई बाद मौका रिपोर्ट
गणना करने पर DLC गणना व
रकबा में अन्तर आने से त्रुटि को
सही किया जाना है. मौका रिपोर्ट
में रकबा की गणना 34x9 से की
गई है जबकि निर्णय में 34x4 से
राशि निर्धारित किये से राशि
में अन्तर आता है पूर्व में 34x9.
रकबा 0.0306 हैक्टेयर होता है जिसकी
DLC दर 9,11925/= रुपये प्रति हैक्टेयर
से 27905 रुपये राशि बनती है.
जबकि 34x4 मीटर से कुल रकबा
0.0136 हैक्टेयर बनता है जिसकी DLC
से गणना करने पर कुल राशि 12,393
होती है जिसकी दुगनी राशि 24804/= (24804)
होती है अतः निर्णय में नोट डालकर
भाववादी से अंकन राशि सही की
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

80/प्रार्थना पत्र/2022
दायरा दिनांक 22.09.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री रामकुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

1. रोशन बाई पत्नी श्री छीतरलाल पुत्री श्री चतरा जाति कंजर निवासी ग्राम मोहनपुरा हाल निवास ग्राम कोटजेवर तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 जरिये मुख्तार उमाशंकर मेघवाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब जिला बून्दी राजस्थान

–अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट
उपस्थितः–1.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकट

निर्णय **दिनांक–04.07.2023**

प्रार्थिया के निजी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नये 64 पुराना 60 में वर्णित खसरा सं. 246/1 रकबा 1.18 कृषि भूमि वाके ग्राम खेडलीमाफी पटवार हल्का सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी राज0 में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/2 दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने जरिये मुख्तार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया अपनी खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 246/1 पर आने–जाने का पूर्व में रास्ता खसरा सं. 245 राजकीय सिवायचक भूमि में से होकर था। प्रार्थिया बाहर जाकर निवास करने के कारण उक्त सिवायचक भूमि पर अन्य दीगर व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिये जाने से प्रार्थिया का अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया प्रार्थिया इसी रास्ते से अपनी कृषि भूमि पर आती–जाती रही है। कृषि उपकरण व फसल इत्यादि इसी रास्ते से लाते ले जाते रहे हैं। प्रार्थिया का रास्ता बंद हो जाने से प्रार्थिया की कृषि भूमि पड़त पड़ी हुई है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रार्थिया को आर्थिक नुकसान के साथ–साथ रोजी–रोटी का भी संकट आ गया है और निवेदन किया कि प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार इन्द्रगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में जाहिर किया है कि प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थिया को लघुत्तम दूरी का प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 245 राजकीय सिवायचक में से पूर्वी मेढ़ के सहारे–सहारे दिया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र दिनांक 30.09.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा सं. 246/1 ग्राम खेड़लीमाफी में स्थित कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होना बताया गया है एवं प्रार्थिया की कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु इन्द्रगढ–सुमेरगंजमण्डी मुख्य सड़क से लगवां खसरा सं. 245 राजकीय सिवायचक भूमि की पूर्वी मेढ़ के सहारे–सहारे लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थिया की कृषि भूमि पर आने–जाने बाबत कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। प्रार्थिया पूर्व में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं. 245 से आते–जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 30.09.2022 के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा संख्या 246/1 पर आने–जाने हेतु इन्द्रगढ–सुमेरगंजमण्डी मुख्य सड़क खसरा संख्या 320 से लगवां खसरा संख्या 245 राजकीय सिवायचक भूमि की पूर्वी मेढ़ के सहारे–सहारे खसरा संख्या 246/1 की मेढ़ तक चार मीटर की चौड़ाई में रास्ता बहाल किया जाता है। खसरा संख्या 245 राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ते में ली गई कुल भूमि मुताबिक तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार रकबा 0.0306 हैक्ट0 प्रभावित होती है। जिसकी डीएलसी दर 9,11,925/–प्रति हैक्ट0 से प्रतिकर राशि 27,905 रूपये होती है। जिसकी दोगुनी राशि 55,810 रूपये राजकोष में जमा कराने पर उक्तानुसार रास्ता प्रदत्त किया जाता है।

तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा कराने पश्चात् प्रार्थी को प्रदत्त किया गया रास्ता राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग–उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

सार्वजनिक होगा। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा निर्णया का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (लाखेरी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

26/7/23

नोट :- निर्णय के पृष्ठ सं. 2 पर प्रतिकर राशि 55810 सहवन से गलत अंकित हो गई है। उक्त अंकित प्रतिकर राशि के स्थान पर प्रतिकर राशि 24804/= रुपये पढ़ी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner